



प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
गृह विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 20 जुलाई, 2026

विषय : वेतन समिति (2016) के सातवें प्रतिवेदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश अभियोजन शाखा के विभिन्न पदों पर अनुमन्य वर्दी/वर्दी नवीनीकरण/वर्दी धुलाई भत्ता के सम्बन्ध में दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में वेतन समिति (2016) के सातवें प्रतिवेदन के माध्यम से दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार कर प्रदान की गयी संस्तुतियों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संस्तुतियों पर निम्नवत निर्णय लिए गए हैं:-

उत्तर प्रदेश अभियोजन शाखा के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये अनुमन्य वर्दी/वर्दी नवीनीकरण/वर्दी धुलाई भत्ते को निम्नानुसार संशोधित किया जाय :-

उत्तर प्रदेश अभियोजन शाखा के अधिकारियों के लिये अनुमन्य वर्दी/वर्दी नवीनीकरण/वर्दी धुलाई भत्ता			
(क) वर्दी की दरें :-			
प्रारम्भिक नियुक्ति के समय वर्दी भत्ता (रूपये में)			
क्र०सं०	पदनाम	वर्तमान में लागू दरें/व्यवस्था	पुनरीक्षित दरें/व्यवस्था
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अभियोजन सेवा के ऐसे अधिकारी जिन्हें मुकदमों में पैरवी के लिये न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है।	150 प्रतिमाह	8000
(ख) वर्दी नवीनीकरण हेतु अनुमन्य दरें :-			
(रूपये में)			
क्र०सं०	पदनाम	वर्तमान में लागू दरें/व्यवस्था	पुनरीक्षित दरें/व्यवस्था
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अभियोजन सेवा के ऐसे अधिकारी जिन्हें मुकदमों में पैरवी के लिये न्यायालय में उपस्थित होना	-	8000 (प्रत्येक 05 वर्ष बाद)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	पडता है।		
(ग) वर्दी धुलाई भत्ते की दरें (प्रतिमाह) :-			
क्र०सं०	पदनाम	वर्तमान में निर्धारित दरें (रु० में)	पुनरीक्षित दरें (रु० में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अभियोजन सेवा के ऐसे अधिकारी जिन्हें मुकदमों में पैरवी के लिये न्यायालय में उपस्थित होना पडता है।	-	200 प्रतिमाह

- 2- उक्त भत्तों की संशोधित दरें विभागीय शासनादेश निर्गत किये जाने के दिनांक से लागू होंगी।
- 3- कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-14/2026-वे०आ०-2-453(1)/दस-2026. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-01
- (2) कार्मिक नियमावली सेल

आज्ञा से,
पुष्पराम,
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।